

प्रेषक,

के०के० सिन्हा,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

१०/
✓

सेवा में,

जिलाधिकारी,
महराजगंज।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ : दिनांक २८ जुलाई, 2011

विषय वर्ष 2007-08 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की
मरम्मत/पुर्नस्थापना/अनुरक्षण कार्य हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-780/आपदा सहा०/2011-12, दिनांक 2 जुलाई, 2011 के संदर्भ मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2007-08 में बाढ़/अतिवृष्टि के फलस्वरूप नवनिर्मित पूर्व माध्यमिक विद्यालय सिरसिया मलमलिया एवं प्राथमिक विद्यालय सिरसिया मलमलिया तहसील सदर जनपद महराजगंज की क्षतिग्रस्त फर्श की मरम्मत/पुर्नस्थापना/अनुरक्षण कार्य पर हुए व्यय के भुगतान हेतु कुल ₹ 1,76,000/- (रूपये एक लाख छिह्न्तर हजार मात्र) का धनावंटन निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक “2245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत—आयोजनेत्तर-05—आपदा राहत निधि-800—अन्य व्यय-03—आपदा राहत निधि से व्यय-42—अन्य व्यय” के नामे डाला जायेगा।

3. इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय।

4— आपदा राहत निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

5— आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा०-11, दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर भी

फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते संभावित हों तो उन्हें दिनांक 31 मार्च, 2012 से पूर्व शासन को समर्पित कर दिया जाय।

6— उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण—पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड—5 भाग—1 के प्रस्तर—369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या—42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

7— व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकर कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीश,
1.10.2011
(के०के० सिंह)
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त

संख्या—2164(1) / 1—10—2011—12(34) / 2011 टी०सी०, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1—महालेखाकार—प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद।

2—मण्डलायुक्त गोरखपुर।

3—आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।

4—वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी०, योजना भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि कृपया इसे राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड कराना सुनिश्चित करे।

✓ 5—वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त।

6—कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी महाराजगंज।

7—वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—5।

8—समीक्षा अधिकारी (लेखा) राजस्व अनुभाग—10/राजस्व अनुभाग—6/11 राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।

9—निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त, उ०प्र० शासन।

10—गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नेक पाल शर्मा)
उप सचिव।
